तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही जय इनिशियल जज
	6.4.18
16/4/18	राजस्व लोक अदालत अभियान आयोजित [illegible] जाने के संबंध में राजस्व ग्रुप-1 दिनांक [illegible] दिनांक 21.04.2018 में दिये गये दिशा निर्देश [illegible] पलना में आज यह पत्रावली मेरे समक्ष [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया गया। मेरा मत है [illegible] करण लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किये जाने योग्य है। अतः पत्रावली उपखण्ड [illegible] को नोटिस जारी होकर लोक अदालत के समक्ष दिनांक [illegible] को समक्ष रखी जावे। सिंघोली 6.4.18 उपखण्ड अधिकारी पलथर
4.6.18	पत्रावली न्याय आपके हवाले 2018 बेम्ब सिंघोली से पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। इस न्यायालय द्वारा पारी कार्यवाही निवेदनार्थ आदेश दिनांक 3.4.18 से vacate हो चुका है। अतः प्री.पत्र जारित किया जाता है। प्री.पत्र पैथल कुमार होकर नियत से मय है। संलग्न मिसल वापस दे।

दलेर सिंह
एडवोकेट
बेंच सदस्य
राजस्व लोक अदालत

मदन लाल गायत
सेवानिवृत्त तहसीलदार
बेंच सदस्य
राजस्व लोक अदालत

नीलाम सक्सेना
I.A.S
उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी अलवर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री सुभम चौधरी
IAS

धारनवान प्रकरण

शेरमोहम्मद बनाम हुपसिंह

प्रा.पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151
सा. दीवानी

स्थिति -

श्री संजीव कुमार जैन वकील वादी
" किशन्मर दयाल गुप्ता वकील प्रति.

निर्णय दिनांक 26-4-2017

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इश्तकरार एक गुस्ती इन्द्राज व हुक्मइम्तनाई दवामी के विचाराधीन रहते हुये वकील प्रतिवादी से प्रा.पत्र ०39 R-1,2 व 151 CPC प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा मिथ्या व गलत तथ्यो के आधार पर वाद पेश किया है। वादीगण ने अपने वाद मे यह दर्ज किया है कि कुल किता-6 रकबा 10.15 बीघा वाले ग्राम सिरमोली पर वादीगण काबिज है तथा पट्टा सनद सं. 35/पुर्नवास/91/16/686 दिनांक 14.3.91 को मौका कब्जा जारी कराया है। बल्कि सत्यता यह है कि उक्त पट्टा जमीन मूर्तिया कराते हुये मौका कब्जा अनुसार जारी कराया है। मौके पर पट्टा मे दर्ज आराजी पर प्रतिवादीगण काबिज काश्तकार मालिक है। अदालत इस वस्तु स्थिति से रोशन हो सके, के लिये मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब किया जाना उचित है। अतः मौका रिपोर्ट तलब कराने का निवेदन किया।

वकील वादी ने प्रा.पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध मे पुश्तैनी आराजी का अभिवचन अंकित करते हुये विधि सम्मत तरीके से वाद प्रस्तुत किया है।

इस अराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण के बुजुर्गान अपने जीवन
काल से काबिज होकर निरन्तर व बदस्तूर काश्त करते चले आ रहे हैं।
उनकी मृत्यु के उपरान्त उभय पक्षकारान काश्त करते चले आ रहे हैं।
उक्त त्रुटि अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रा. पत्र 212 Reject के चरण
4 में की है। अप्रार्थीगण ने प्रस्तुत अराजी का सनद पट्टा
अवैधानिक तरीके से जारी कराया था जिसकी अपील जिला कलक्टर
अलवर के न्यायालय में जानकारी होते ही दायर की हुई है। सहज प्रकरण
को लम्बा करने की नियत से प्रा. पत्र मौका कमिश्नर प्रस्तुत किया है।
क्षेत्रीय राजस्व मण्डल अजमेर का भी राजस्व वाद में मौका कमिश्नर
नियुक्त करने के सम्बन्ध में यह अभिमत रहा है कि राज. काश्त. अधि.
के तहत विचाराधीन वाद में मौका कमिश्नर साक्ष्य एकत्रित करने की
नियत से व उसे लम्बा करने की नियत से नियुक्त नहीं किया
जा सकता है। विचाराधीन वाद में मौका कमिश्नर नियुक्त करने का
कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रा. पत्र खारिज करने का कथन किया।
प्रा.पत्र 039 R. 1 व 2 व 151 CPC पर बहस उभय पक्ष
सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि समस्त
स्टाम्प लगने के पश्चात अप्रार्थी को विवादित अराजी का सनद
पट्टा दिया गया, और अप्रार्थी का मौके पर कब्जा है। वादी/प्रार्थी
का विवादित अराजी पर ना तो कब्जा ही है, और ना ही काश्त है।
अप्रार्थी विवादित अराजी का काबिज काश्तकार मालिक है। इसलिये
को रोशन करने के लिये मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौके की स्थिति
लिया जाना आवश्यक है।
वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत
अराजी पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण काबिज होकर निरन्तर व बदस्तूर
काश्त करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगण ने जो पट्टा बिना दावा
अवैधानिक तरीके से जारी कराया है जिसकी अपील न्यायालय जिला
कलक्टर अलवर में की हुई है। प्रतिवादीगण विवादित अराजी के
काबिज काश्तकार नहीं है इसलिये मौका कमिश्नर नियुक्त किया
जाना प्रकरण में आवश्यक नहीं है।

उप अधिकारी

हमने वहस उभय पक्ष पर मनन किया। पत्रावली
अध्ययन किया। मौका कमिश्नर निर्मुक्ति से कब्जा की स्थिति
थाना न्यायालय का उद्देश्य नही है। मौका कमिश्नर से जरूरी
तिथाही साक्ष्य एकत्रित करना चाहते है। मौका कमिश्नर ऐसी स्थिति
नियुक्त किया जा सकता है जहाँ बाद मे ऐसी विवादास्पद
गति हो कि बाद मे अनुतोष की स्थिति, बिना मौका कमिश्नर
र्ट के स्पष्ट नही हो सकती, जबकि उक्त प्रकरण मे ऐसा नही
। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रा.पत्र आदेश 39 नियम 1-2
151 जा.दी. खारिज करना उचित समझते है।

अतः वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र
आदेश 39 नियम 1-2 व 151 जा.दी. खारिज किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
अलवर